274

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : जे0 के0 जैन
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1971— /2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 28—09—2006 पारित द्वारा अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 360/अ—6/2005—06

सुखरानी विधवा शिवचरण यादव
निवासी ग्राम हड़ुवा हाल घोरी सागर,
तहसील महरौनी जिला ललितपुर

-----आवेदक

विरूद्ध

कल्याण सिंह पुत्र मुलुआ यादव
निवासी ग्राम हड़ुवा तहसील खुरई
जिला सागर म0प्र0

-----अनावेदक

श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 27.8.19 2019)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग के आदेश दिनांक 28—09—2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बादरी के समक्ष आवेदिका द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके ससुर का स्वर्गवास हो जाने से उसके नाम की भूमि पर आवेदिका और उसके देवर का बराबर हिस्सा होने से वारिसाना नामांतरण किया जाये ।नायब

तहसीलदार ने आदेश दिनांक 01–6–2005 से आवेदिका एवं अनावेदक दोनों के पक्ष में बराबर हिस्से पर नामांतरण आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–1–2006 को आदेश पारित अपील स्वीकार की गई और तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के सक्षम अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 28–09–2006 को अपील सारहीन होने से निरस्त की। अतिरिक्त आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने इस बिन्दु पर सहमति व्यक्त की कि तहसीलदार का आदेश अनुविभागीय अधिकारी के फाईल में है और मामले में ऐसा कोई बिन्दु नहीं है जिनके लिये तहसील के अभिलेख की आवश्यकता हो किन्तु मामले में प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया कि आवेदिका शिवचरण की पत्नी तथा मृतक भूमिस्वामी मुलुवा की बहू है यह बात पूर्णतः सिद्ध है। इस कारण आवेदिका एवं अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर बराबर हिस्सा होता है। नायब तहसीलदार ने दोनों के नाम बराबर भूमि पर वारिसाना नामांतरण के आदेश दिये थे परन्तु अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। आवेदिका विवादित भूमि में अनावेदक के साथ बराकर की रिकॉर्डधारी है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अपीलीय न्यायालय के आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाये।

5/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तार से विवेचना कर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को द्वितीय अपीली में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। दोनों अपीलीय

न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जो उचित हैं। अतः निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किये जाने का अनुरोध गया।

6/ प्रत्युत्तर में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क किया कि विधि के विरूद्ध किया गया समवर्ती निष्कर्ष मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

7/ उभय पक्ष के अभिभाषगण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया । प्रकरण के निराकरण के लिये एक मुख्य बिन्दु यह है कि मूल भूमिस्वामी मुलुआ की मृत्यु के पश्चात उसकी समपत्ति पर निगरानीकर्ता व अनावेदक के नाम पर अंतरित होगी अथवा मात्र अनावेदक के नाम पर, जैसा कि अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त ने ठहराया है। अनुविभागीय अधिकार का यह निष्कर्ष है कि आवेदिका परिवार की बहू हो गई है और उसके विधवा की हैसियत से अधिकार खत्म हो गये है। यह एक अत्यंत ही त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष है। यह निर्विवादित है कि आवेदिका, आवेदक के भाई की पत्नी थी। इस आधार पर उसे उसके अधिकार भाई की विधवा होने के नाते अर्जित होते है। उसके पश्चात् उसकी क्या स्थिति बनी, वह देवर के साथ रहने लगी या मायके में रहने लगी, पूर्णतः अप्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में आवेदिका के अभिभाषक का यह तर्क पूर्णतः मान्य है कि आवेदिका का नामांतरण भी विवादित भूमि पर अनावेदक के साथ किया जाना चाहिये था जैसा कि विचारण न्यायालय ने किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 28–09–2006 एवं अनुविभागीय अधिकारी खुरई का आदेश दिनांक 23–01–2006 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार बांदी का आदेश दिनांक 01–06–2005 स्थिर रखा जाता हैं।

(जे0के0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर